संख्या–2757/9–आ–1–02–57डीए/02

प्रेषक,

जे0एस0मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आयुक्त,**
आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–6 जुलाई, 2002

विषय : आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों को कब्जा दिये जाने से पूर्व स्टाम्प शुल्क लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5 के शासनादेश संख्याः क0सं0वि0–5–2210(1)/11–98, दिनांक 30 मई, 1998 एवं शासनादेश संख्या क0सं0–वि0–5–5206/11–98, दिनांक 29 दिसम्बर, 1998 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब तक विक्रय की जाने वाली अचल सम्पत्तियों के पंजीकृत विलेख निष्पादित न हो जायें तब तक भूमि/भवन का कब्जा आवंटी को न दिया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेशित किया जाता है कि वर्ष 1998 के पूर्व में विक्रय की गयी जिन सम्पत्तियों के कब्जे बिना पंजीकृत विलेख निष्पादित कराये दे दिये गये हैं, उनके पंजीयन हेतु समयबद्धरूप से कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही की जाय। यह सुनिश्चित किया जाये कि परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों का कब्जा परिवर्तन के लिये रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता के नियम का उल्लघंन नहीं हो रहा है।

2. उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में शिथिलता पाये जाने पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाये।

भवदीय,

जे0एस0मिश्र

सचिव।

संख्या 2757(1)9–आ–1–02 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

2. सचिव, कर एवं संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

ए.के.एस.राठौर

विशेष सचिव।